पत्रांक– अ०स०क०–08–क–PMJVK–25 / 2026......................

**बिहार सरकार**

**अल्पसंख्यक कल्याण विभाग**

प्रेषक,

**डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी**
विशेष सचिव–सह–निदेशक

सेवा में,

**महालेखाकार (ले० एवं ह०),**
बिहार, पटना

पटना, दिनांक.........................................

**विषयः–** **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–MsDP-21/8/2025-MsDP-MOMA (Computer No. 146573), दिनांक– 10.02.2026 द्वारा प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत पश्चिम चम्पारण जिला के नरकटियागंज प्रखण्ड में डॉ० ए०पी० जे० अब्दुल कलाम आवासीय विज्ञान विद्यालय के भवन निर्माण (01 इकाई) हेतु कुल ₹1370.00 लाख (तेरह करोड़ सत्तर लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति संसूचित है। मंत्रालय के पत्रांक–MsDP-21/19/2025-MsDP-MOMA (Computer No. 148005), दिनांक– 30.09.2025 द्वारा प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत ₹500.00 लाख मात्र का Mother Sanction प्राप्त हुआ है। तदानुसार केन्द्रांश मद की कुल राशि ₹822.00 लाख (आठ करोड़ बाईस लाख रूपये) मात्र में से ₹54.00 लाख (चौवन लाख रूपये) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मद की कुल राशि ₹548.00 लाख (पांच करोड़ अड़तालीस लाख रूपये) मात्र में से ₹36.00 लाख (छत्तीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं आवंटन के संबंध में।**

प्रसंगः– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–MsDP-21/8/2025-MsDP-MOMA (Computer No. 146573), दिनांक– 10.02.2026 एवं पत्रांक– MsDP-21/19/2025-MsDP-MOMA (Computer No. 148005), दिनांक– 30.09.2025

**आदेशः– स्वीकृत।**

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पश्चिम चम्पारण जिला के नरकटियागंज प्रखण्ड में डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम, आवासीय विज्ञान विद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा ₹1370.00 लाख (तेरह करोड़ सत्तर लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। मंत्रालय के पत्रांक–MsDP-21/19/2025-MsDP-MOMA (Computer No. 148005), दिनांक– 30.09.2025 द्वारा प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत ₹500.00 लाख मात्र का Mother Sanction प्राप्त हुआ है।

प्रासंगिक पत्र में निहित शर्तों के अधीन निम्नवत् केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की राशि स्वीकृत की जाती हैः–

(अनुपात– 60:40, राशि लाख रूपये में)

| क्र० सं० | परियोजना का नाम | जिला | प्रखंड | इकाई | 49वीं प्राधिकृत समिति में स्वीकृत परियोजना की कुल राशि | स्वीकृत केंद्रांश की राशि | समानुपातिक राज्यांश की राशि | आवंटित किये जाने वाले केन्द्रांश की राशि | आवंटित किये जाने वाले समानुपातिक राज्यांश की राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | APJ Abdul Kalam Residential Science School, Narkatiaganj block | पश्चिम चम्पारण | नरकटियागंज | 1 | 1370.00 | 822.00 | 548.00 | 54.00 | 36.00 |

2. उक्त आवंटित राशि मांग सं०–30 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4250– अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत व्यय, उपमुख्य शीर्ष–00– कल्याण–लघुशीर्ष–051– निर्माण, उपशीर्ष–0207– अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम), विपत्र कोड–30–4250000510207, विषय शीर्ष–53–01, पी०एफ०एम०एस० कोड–3674 के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में विकलनीय होगा।

3. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस स्वीकृत राशि से SNA-SPARSH के माध्यम से वित्त विभाग, बिहार, पटना तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5295, दिनांक–09.05.2025 तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के O.M. दिनांक–13.07.2025 तथा समय–समय पर निर्गत SNA-SPARSH के दिशा–निर्देश के आलोक में राशि का व्यय किया जायेगा।

5. इस योजना के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यान्वयन एजेंसी से प्राप्त दावा विपत्र का CFMS 2.0 प्रणाली अन्तर्गत SNA-SPARSH में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेंगे तथा व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।

6. इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी "बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना" होंगे। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा CFMS 2.0 प्रणाली अन्तर्गत SNA-SPARSH के तहत दावा विपत्र निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपस्थापित किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेगें। महालेखाकार, बिहार को इस स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

9. कार्यकारी एजेन्सी, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा उक्त विषयांकित योजनाओं का Geo-tagging कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

11. योजना के क्रियान्वयन में बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभागीय पत्रांक 4989/वि० दिनांक 16.05.2013 तथा संबंधित अन्य अद्यतन परिपत्र/आदेश की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा अपेक्षित होगा।

12. स्वीकृत योजना पर हीं राशि व्यय की जाएगी। किसी भी स्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

13. यह चालू योजना है।

14. इस राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका–अ०स०क०–08–क–PMJVK–25/2026 के पृ०–02/टि० पर दिनांक–25.02.2026 को प्राप्त है।

15. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका के पृ० 03/टि० पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः– अ०स०क०–08–क–PMJVK–25/2026........................................../ पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, लेखा शाखा/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः– अ०स०क०–08–क–PMJVK–25/2026........................................../ पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः– अ०स०क०–08–क–PMJVK–25/2026........................................../ पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपिः– मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

E-mail

ज्ञापांकः– अ०स०क०–08–क–PMJVK–25/2026........................................../ पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी/सहायक निदेशक, अ०क०, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

E-mail

ज्ञापांकः– अ०स०क०–08–क–PMJVK–25/2026........................................../ पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वी मंजिल, प० दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सी०जी०ओ० कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः– अ०स०क०–08–क–PMJVK–25/2026 ................................/ पटना, दिनांक..................................

प्रतिलिपिः– श्री कपिल कुमार, सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः– अ०स०क०–08–क–PMJVK–25/2026 767 / पटना, दिनांक 06/03/26

प्रतिलिपिः– आई०टी० प्रबंधक/प्रोग्रामर (पी०एम०जे०वि०के० कोषांग), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। आई०टी० प्रबंधक को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृत्यादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

विशेष सचिव–सह–निदेशक 6/3